



दिनांक: 20.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 40 टेढ़ा पैक अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा नशा तस्कर **अभियुक्त एहकाम पुत्र इरशाद निवासी जैन कालोनी, खाताखेडी थाना मण्डी, सहारनपुर** को सरकारी स्कूल सिराज कालोनी के गेट के सामने से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चालीस टेढ़ा पैक अवैध देशी शराब बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 101/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त एहकाम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने यह शराब ठेके से खरीदी थी, जिसे मैं ठेका बन्द होने के बाद ऊंचे दामों पर बेचकर पैसा कमा लेता हूँ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

एहकाम पुत्र इरशाद निवासी जैन कालोनी, खाताखेडी थाना मण्डी, सहारनपुर

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 106/23 धारा धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी
2. मु0अ0सं0 395/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी

बरामदगी का विवरण –

40 टेढ़ा पैक अवैध देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
2. कांअंकित कुमार 1460 0 थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर



दिनांक: 20.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नांगल श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2024 को थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त **दिलशाद अली पुत्र इरशाद अहमद निवासी गोपाली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 1509/21 धारा 279/304ए/427 भादवि न्यायालय श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीजन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द तारीख पेशी 22.03.2024 को थाना देवबन्द क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा था।

अभियुक्त दिलशाद उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया गया कि मेरे ऊपर पूर्व से मुकदमा चल रहा है। मैं किसी कारण से अपनी गवाही पर नहीं पहुँच पाया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दिलशाद अली पुत्र इरशाद अहमद निवासी गोपाली थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. का0 122 लक्ष्मण सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर



दिनांक: 20.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा मारपीट के मामलों में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही पर घटना में प्रयुक्त गन्ना काटने का कटर बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 16.03.2024 को वादी श्री सन्टी पुत्र नन्हा निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर धारधार हथियारो से लैस होकर वादी के घर में घुसकर महिलाओं के साथ अश्लील हरकते करते हुए वादी के पिता पर धारदार कटर से हमला कर घायल कर देने व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 69/24 धारा 147/148/149/452/294/352/323/324/506 भादवि0 बनाम 1.इन्द्र पुत्र बलजीत 2. रोहित पुत्र इन्द्र व अन्य 4 नफर अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 20.03.24 को मुखबिर की सूचना पर मुकमदा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए 02 वांछित **अभियुक्तगण 1. इन्द्र पुत्र बलजीत व 2 रोहित पुत्र इन्द्र नि0गण ग्राम टाबर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** ग्राम टाबर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही से घटना में प्रयुक्त गन्ना काटने का कटर को बरामद हुआ। अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि नन्हा पुत्र कुरडी निवासी टाबर हमारे प्लाट का पड़ोसी है उसके मकान के सामने हमारा प्लाट है हम लोगो ने अपने प्लाट की दीवार के किनारे गोबर के उपले पाथ रखे है नन्हा व उसके परिवार के लोग हमे वहाँ उपले पाथने से मना कर रहे थे इसी बात को लेकर नन्हे से झगड़ा हो गया था जिसमे नन्हा के हाथ मे चोट लग गयी थी। अभि0 इन्द्र ने बताया कि मेरे हाथ मे गन्ना काटने का कटर था जो मैंने नन्हा के हाथ पर मारा था मैंने अपने हाथ मे लिये कटर को अपने कमरे मे बिछी चारपायी के नीचे रख रखा था जिसे मैंने पुलिस को बरामद करा दिया है तथा अभि0 रोहित ने बताया कि मारपीट के दौरान मेरे हाथ मे एक लकड़ी का डण्डा था जो मैंने गहरे तालाब मे फेक दिया था

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. इन्द्र पुत्र बलजीत निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. रोहित पुत्र इन्द्र निवासी ग्राम टाबर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

गन्ना काटने का कटर (अभि0 इन्द्र उपरोक्त के कब्जे से बरामद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री बीरबल सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 713 नितिन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. हो0गा0 1788 धर्म सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 20.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12

बोतल ताजा माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण व अवैध शराब/नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 20.03.24 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर **अभियुक्त प्रवेज पुत्र मौहम्मद खालिद निवासी मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को 12 बोतल ताजा माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का सहित ग्राम साहबा माजरा की रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 81/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ अपना खर्च चलाने के लिए हरियाणा से सस्ते दामों में शराब खरीदकर ले आता हूँ और आने वाले लोगो को शराब बेचकर मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रवेज पुत्र मौहम्मद खालिद निवासी मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

12 बोतल ताजा माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का

अभियुक्त सलीम उर्फ बाधी उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 92/19 धारा 380 भादवि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रोहताश बैसला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 971 राशिद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 2308 प्रवीण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 20.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12

बोतल देशी शराब रसीला माल्टा हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण व अवैध शराब/नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 20.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान 01 शराब तस्कर अभियुक्त सलीम उर्फ बाधी पुत्र इकबाल उर्फ बाला निवासी नई बस्ती मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर को 12 बोतल ताजा माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का सहित ईदगाह के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 80/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ अपना खर्च चलाने के लिए हरियाणा से सस्ते दामों में शराब खरीदकर ले आता हूँ और आने जाने वाले लोगो को शराब बेचकर मुनाफा कमा लेता हूँ।

अभियुक्त का नाम व पता:-

सलीम उर्फ बाधी पुत्र इकबाल उर्फ बाला निवासी नई बस्ती मौहल्ला बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

12 बोतल रसीला माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का

अभियुक्त सलीम उर्फ बाधी उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 387/23 धारा 63 आबकारी अधिनियम चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 558 सन्दीप कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 946 आजाद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 20.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12

ग्राम स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण व अवैध शराब/नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 20.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान **अभियुक्त मुबारिक पुत्र स्मैक निवासी ग्राम घिस्सेवाला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को 12 ग्राम स्मैक सहित गंगोह रोड पर इलमचन्द की ट्यूबेल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 79/24 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट बनाम मुबारिक उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। अभि0 के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं नशा करने का आदी हूँ तथा अपना खर्च चलाने के लिए आस पास के राज्यों से सस्ते दामों में नशीला पदार्थ ले आता हूँ और अपने आस पास व आने जाने वाले व्यक्तियों को नशीला पदार्थ बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मुबारिक पुत्र मामराज निवासी ग्राम घिस्सेवाला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

12 ग्राम स्मैक

अभियुक्त मुबारिक उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 406/12 धारा 2/3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम चालानी थाना नकुड़, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

5. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
7. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
8. का0 2396 आकाश सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
9. का0 2555 राहुल कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
10. का0 497 गौरव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
11. का0 81 राहुल राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना बिहारीगढ सहारनपुर पुलिस द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से 08 ग्राम स्मैक बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2024 को दौराने चैकिंग थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा एक शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त नवाब पुत्र ताहिर निवासी थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** को थापुल मुस्लिम को जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 08 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना बिहारीगढ पर **मु0अ0सं0 43/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त नवाब उपरोक्त ने पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त नवाब उपरोक्त ने बताया कि मैं स्मैक को कम दाम में खरीदकर अधिक दाम पर बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नवाब पुत्र ताहिर निवासी थापुल मुस्लिम थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 125/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 43/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

08 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. है0का0 233 राकेश कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. का0 2474 प्रताप सिंह थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर



दिनांक: 20-03-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा एक नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण व अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2024 को थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त वासिफ पुत्र आलमदीन निवासी ग्राम सांगाठेड़ा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को ग्राम महंगी को जाने वाली सड़क से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल गैर प्रान्तीय अवैध शराब बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त वासिफ उपरोक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 98/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- वासिफ पुत्र आलमदीन नि0 ग्राम सांगाठेड़ा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास

1- मु0अ0सं0 98/24 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अशोक सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. का0 1862 तनवीर सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. का0 2001 कैलाश थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 20-03-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 20 लीटर अवैध शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण व अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त त्रिलोक सिंह पुत्र अमरीक सिंह निवासी ग्राम जुखेड़ी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को ग्राम जुखेड़ी से 20 लीटर अवैध शराब खाम सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त त्रिलोक सिंह के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 97/24 धारा 60(2) आबकारी अधि0 के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

त्रिलोक सिंह पुत्र अमरीक सिंह निवासी ग्राम जुखेड़ी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त कल्लू-

1- मु0अ0सं0 97/24 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 20 ली0 अवैध शराब खाम
- 01 बड़ा ड्रम लोहा जो एक साईड से कटा हुआ है
- 01 भगोना सिल्वर का नीचे से कटा हुआ है तथा एक साईड से छोटा छेद हुआ है जिसमें पाईप लटका हुआ है
- 01 मिट्टी का बड़ा ढक्कन छेददार
- 01 तसला लोहा
- 01 गैस सिलेण्डर कम्पनी इण्डेन
- 01 लोहे की गोल भट्टी जिसमें गैस पाईप व रेगुलेटर लगा है

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- उ0नि0 श्री सुभाष मठोरिया थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री उपेन्द्र राणा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- 3- है0का0 362 अमित पँवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- 4- है0का0 579 शेखर चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- 5- का0 1606 दीपक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- 6- का0 688 प्रवीण थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 20-03-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना देवबन्द साईबर सैल द्वारा साईबर ठगी में गये 55,000/- रुपये पीडित के खाते में
कराये गये वापस

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण व साइबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द साइबर सेल द्वारा आज दिनांक 20.03.2024 को पीडित फैज पुत्र इसरार निवासी ग्राम चहलौली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की शिकायत संख्या- 23112230115091 जिसमें दिनांक 26.12.2024 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा काल करके online business के नाम पर पीडित के खाते से 55000/- रुपये की ठगी कर ली थी। उपरोक्त प्रकरण में थाना देवबन्द साईबर सैल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये शिकायत दर्ज कर पीडित के **55,000/- रुपये स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया माधापुर हैदराबाद ब्रान्च में होल्ड कराये थे, जिसमें** मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अन्तर्गत धारा 457 सीआरपीसी विधिक कार्यवाही के उपरान्त दिनांक 20.03.2024 को साइबर सेल देवबन्द द्वारा पीडित की साइबर ठगी में गई **55000/- रुपये** की शत प्रतिशत धनराशि उसके खाते में वापस कराई है। पीडित द्वारा थाना देवबन्द साईबर सेल व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

साईबर ठगी के रुपये वापस कराने वाली साईबर टीम-

1. श्री संजीव कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना देवबन्द स0पुर
2. व0उ0नि0 श्री अजय कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री आरिफ अली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
4. कम्प0 आप0 रूपेन्द्र सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर
5. म0का0 हिमानी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



दिनांक: 20-03-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

उडन दस्ता टीम (FST), सहारनपुर द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को 24 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का 01 पिकअप के सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2024 को एफएसटी(उडन दस्ता) टीम द्वारा चैकिंग अभियान के दौरान सहारनपुर हरियाणा बार्डर पर स्थित पुलिस चौकी शाहजहाँपुर पर बैरियर लगाकर चैकिंग के दौरान अभियुक्त माजिद उर्फ जुल्फी पुत्र जहूर निवासी ग्राम गढी दौलत थाना कांधला जिला शामली हाल निवासी ग्राम सलेमपुर विश्वकर्मा वर्कशाप के पास थाना सरसावा जिला सहारनपुर को कुल 24 बोतल अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का (12 बोतल अंग्रेजी शराब ROYAL CHALLENGE व 12 बोतल अंग्रेजी शराब 100 PIPERS) व शराब तस्करी में प्रयोग की गई 01 पिक-अप (नम्बर HR 58 A 7237) सहित बैरियर चौकी शाहजहाँपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 072/2024 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभि0 ने बताया कि साहब मैं हरियाणा से सस्ते दाम में शराब खरीद कर अपनी पिकअप नम्बर HR 58 A 7237 से लाकर अपने गाँव व आस पास के लोगो को अधिक दाम में बेचकर मुनाफा कमाता हूँ जिससे मेरा खर्च चल जाता है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त गण:-

माजिद उर्फ जुल्फी पुत्र जहूर निवासी ग्राम गढी दौलत थाना कांधला जिला शामली हाल निवासी ग्राम सलेमपुर विश्वकर्मा वर्कशाप के पास थाना सरसावा जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 72/2024 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना सरसावा स0पुर

बरामदगी का विवरण

12 बोतल अंग्रेजी शराब ROYAL CHALLENGE

12 बोतल अंग्रेजी शराब 100 PIPERS

01 पिक अप नम्बर HR 58 A 7237

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. श्री राहुल भारती गन्ना पर्यवेक्षक सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री पवन कुमार कार्यरत क्षेत्र थाना सरसावा जिला सहारनपुर हाल तैनाती थाना कुतुबशेर
3. है0का0 628 शैलेन्द्र कुमार कार्यरत क्षेत्र थाना सरसावा जिला सहारनपुर हाल तैनाती थाना कुतुबशेर
4. का0 2299 कृष्णवीर कार्यरत क्षेत्र थाना सरसावा जिला सहारनपुर हाल तैनाती थाना कुतुबशेर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर लुटेरा गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी

तमंचा / 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व 1200/- रुपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 27.02.2024 को वादी मौ० आबिद पुत्र मौ० अख्तर निवासी दिनेश विहार गैस गोदाम थाना कोतवाली नगर सहारनपुर ने एक लिखित तहरीर बाबत दो बाईक पर सवार तीन चार अज्ञात व्यक्तियों द्वाारा वादी की मोटरसाईकिल पर टंगे बैग जिसमें दुकान की चाबी, बिल, कागजात व करीब 30000/- रुपये छीन लेने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु०अ०सं०- 33/24 धारा 392 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने उक्त घटना का संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी व लूट की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गये। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त फिरोज पुत्र नसीर निवासी गली नं०25 पीर वाली गली निकट सलाम पब्लिक स्कूल थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर को गोटे शाह कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 देशी तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व 1200/- रुपये नगद सम्बन्धित मु०अ०सं० 33/24 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर बरामद हुए। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मण्डी पर मु०अ०सं० 102/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त फिरोज उपरोक्त ने बताया कि जो तमंचा पुलिस टीम ने आज मुझसे बरामद किया है उसे मैं रोब गालिब करने के लिये अपने पास रखता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने तथा मेरे तीन अन्य साथी के साथ मिलकर हमने कोतवाली नगर क्षेत्र से एक मोटर साईकिल सवार से बैग लूट लिया था। बैग में दुकान की चाबी, कागजात व करीब 30000/- रुपये थे। बैग से मिले 30,000/- रुपये को हम लोगो ने आपस में बाँट लिये था। जो 1200/- रुपये आज मुझसे पुलिस टीम ने बरामद किये हैं वो उन्ही 30000/- रूपयों में से खर्च के बाद बचे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

फिरोज पुत्र नसीर निवासी गली नं० 25 पीर वाली गली निकट सलाम पब्लिक स्कूल थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास -

मु०अ०सं० भादवि थाना 392,411 धारा 24/33कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर (प्रकाश में)

बरामदगी का विवरण -

- 01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 1200/- रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० प्रवेज कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
2. हे०का० 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
3. हे०का. 02 कमल कौशिक थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 30 पच्चे फ्रूटी देशी शराब महबूबा गोल्ड मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों व अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त राकेश पुत्र पूरणचन्द निवासी मातागढ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर को मातागढ चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 30पच्चे फ्रूटी देशी शराब महबूबा गोल्ड मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 103/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि मैं देशी शराब ठेके से खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में महंगे दाम पर ठेका बन्द होने के बाद बेच देता हूँ। जिसे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। मेरे पास शराब रखने / बेचने का कोई लाइसेन्स नहीं है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राकेश पुत्र पूरणचन्द निवासी मातागढ थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 313/23 धारा 294 भा0द0वि0 थाना कोतवाली मण्डी।

बरामदगी का विवरण –

30पच्चे फ्रूटी देशी शराब महबूबा गोल्ड मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0नरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।
2. है0का0 459 पवन कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।
3. कां0 2341 नितिन पंवार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 20.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक शातिर वाहन चोर/ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 19.03.2024 को वादी श्री रोहित पुत्र ऋषिपाल प्रजापति निवासी ग्राम चकहरेटी जनता रोड थाना जनकपुरी सहारनपुर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल रंग सिल्वर रजि 00नं UP 11BB 0382 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 51/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर जनपद में अपराध नियंत्रण, वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त की अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए गए। इसी आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा एक शातिर वाहन चोर अभियुक्त **अनूप सिंह पुत्र मदनलाल नि0 रनियाल दयालपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को जमालपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी की गयी मोटर साइकिल व 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अनूप सिंह पुत्र मदनलाल नि0 रनियाल दयालपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- 01 मोटर साइकिल
- 01 नाजायज चाकू

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 344/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 पीयूष कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 731 पोपिन कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
3. है0का0 221 संजीव कुमार, थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 200.32024.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकानासहारनपुर, पुलिस द्वारा 01शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से ग्राम चरस नाजायज 160 बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024-के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रणइसमें नशीले पदार्थों व अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व , सलिस अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना चिलकाना के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त 01 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना की पुलिस टीम द्वारा 20.03.2024 इमरान उर्म मानी पुत्र मजीद निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से ग्राम चरस नाजायज 160बरामद हई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु धारा 2024/64 0स0अ08/एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया 20। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बताया की मैं कम पढ़ा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने तथा चरस को सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।आज जब मैं चरस बेचने जा रहा था तो पुलिस टीम द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

इमरान उर्म मानी पुत्र मजीद निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

ग्राम 160नाजायज चरस

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु17/263 0स0अ0 धारा थाना चिलकाना सहारनपुर । 0पशु क्रूरता अधि 11 सीएस एक्ट व 8/3 –
- 2.मुएनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर । 15/8—धारा 17/589 -0सं0अ0
- 3.मु एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर 21/8—धारा 21/412—0सं0अ0
- 4.मुएनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर । 20/8—धारा 2024/64—0सं0अ0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1 उ 0नि0विनोद कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
- 2है हेमन्त कुमार 246 0का0थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
- 3हैकुलदीप सिंह 1052 0का0 थाना चिलकाना सहारनपुर ।



दिनांक: 200.32024.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना फतेहपुरसहारनपुर, पुलिस द्वारा 01शातिर अभियुक्त गिरफ्तार ,कब्जे से 01 छुरा
नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्र के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियामन के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष फतेहपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा चैंकिंग के दौरान 01 शातिर अभियुक्त **आफताब पुत्र मौ0 सलीम निवासी मुस्लिम कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को देहरादून सर्विस रोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 नायायज छुरा बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 50/24 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय रसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

आफताब पुत्र मौ0 सलीम निवासी मुस्लिम कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 133/23 धारा 8/20 एनडीपीएस अधि0 थाना फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 516/20 धारा 8/20 एनडीपीएस अधि0 थाना फतेहपुर

बरामदगी का विवरण

01 नाजायज छुरा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर



दिनांक: 20.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 06

बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अवैध शराब के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैंकिंग के दौरान एक शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त प्रदीप पुत्र नाथीराम निवासी पिजौरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को गौरव बिहार के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 06 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 126/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य कार्यवाही विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त प्रदीप उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व नशा करने का आदी हूँ। मैं देशी शराब हरियाणा राज्य से कम दामों में खरीदकर आसपास के क्षेत्र में अधिक दाम पर बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

प्रदीप पुत्र नाथीराम नि0 पिजौरा थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 126/24 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 35/20 धारा 13 जुआ अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 150/16 धारा 610 आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 154/17 धारा 147, 148, 149, 435, 436 भादवि थाना को0देहात सहारनपुर
5. मु0अ0सं0-156/17-धारा 120-B/147/148/149/307/ 427/ 436/ 452 भादवि थाना को0देहात सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 162/17 धारा 147, 148, 149, 307, 332, 353, 427, 436 भादवि व 7 सीएल एक्ट व ¾ सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान अधि0 थाना को0.देहात सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 163/17 धारा 147, 148, 149, 307, 332, 353, 427, 436 भादवि व 7 सीएल एक्ट व थाना को0.देहात सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 240/16 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना को0देहात सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 317/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना को0देहात सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 403/19 धारा 60(ए)63 आबकारी अधि0 व 272/273 भादवि थाना को0देहात सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 658/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाल देहात सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 331/14 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाल देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरण: –

➤ 06 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

2. उ0नि0नरेश सिंह कोतवाली देहात जिला सहारनपुर ।
3. का0 77 अरुण कुमार थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर ।
4. का0 75 विवेक कुमार थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त

गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त आरिफ पुत्र इकबाल निवासी बारुगढ थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** को ग्राम तोता टाण्डा के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ पर **मु0अ0सं0 44/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ उपरोक्त ने बताया कि मैं स्मैक को कम दाम में खरीदकर अधिक दाम पर बेच कर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

आरिफ पुत्र इकबाल निवासी बारुगढ थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

➤ 10 ग्राम स्मैक नाजायज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री देवेश कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. का0 2276 देवेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. का0 1377 रवि कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 20.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू
बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी की घटनाओं की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर **अभियुक्त अंशुल पुत्र सुभाष निवासी शेरपुर खानाजादपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर** को संबंधित मु0अ0सं0 112/2023 धारा 457/380 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर को शेरपुर के कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 चाकू नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ पर **मु0अ0सं0 41/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त अंशुल उपरोक्त ने बताया कि मैं आम लोगों को डराने व धमकाने के लिये चाकू अपने साथ रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अंशुल पुत्र सुभाष निवासी शेरपुर खानाजादपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 07/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 389/15 धारा 102/41 सीआरपीसी व 411/414/420/468/471 भादवि थाना बेहट जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 391/15 धारा 4/25 थाना बेहट जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 91/23 धारा 379/411/414/465 भादवि थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 112/23 धारा 457/380 भादवि थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 41/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

➤ 01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर।
2. है0का0 745 प्रदीप तोमर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर



दिनांक: 20.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,

कब्जे से 01 तमन्चा /02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त **मांगेराम उर्फ मांगा पुत्र राजपाल निवासी इस्माईलपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर** को ग्राम नरौत्तमगढ तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमन्चा मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ पर **मु0अ0सं0 42/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कि या जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त मांगेराम उपरोक्त ने बताया कि मैं आम लोगों को डराने व धमकाने के लिये तमन्चे अपने पास तमन्चा रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मांगेराम उर्फ मांगा पुत्र राजपाल निवासी इस्माईलपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 3/15 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 232/15 धारा 379/411 भादवि थाना बेहट जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 177/15 धारा 379/411 भादवि थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 71/18 धारा 3/10 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी अधि0 व 147/332/353 भादवि थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 182/20 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 165/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 191/09 धारा 3(1)(10), 3(2)(5), एससी एसटी एक्ट व 363,366,368,376 भादवि थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 42/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

01 तमन्चा / 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर।
2. है0का0 615 नीटू कुमार थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर
3. का0 699 अशोक कुमार थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर।



दिनांक: 20.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना देवबंद, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से 01/ तमन्चा 01 जिन्दा कारतूस 315.बोर बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त, के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण 2024 अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक देवबंद श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा शातिर अभियुक्त 01 राहुल उर्फ सिद्धार्थ पुत्र हरिमोहन उर्फ कलेन्डर नि कुरडी थाना देवबंद सहारनपुर को ग्राम भायला से ग्राम कुरडी को जाने वाले रास्ते पर बडी नहर के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 315. जिन्दा कारतूस 01 तमन्चा मय 01 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबंद पर मु धारा 24/0130 सं 0 अ0 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय 25/3 से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कि या जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त मांगेराम उपरोक्त ने बताया कि मैं आम लोगों को डराने व धमकाने के लिये तमन्चे अपने पास तमन्चा रखता हूँ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राहुल उर्फ सिद्धार्थ पुत्र हरिमोहन उर्फ कलेन्डर निकुरडी थाना देवबंद सहारनपुर 01

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मुभादवि थाना देवबंद जनपद सहारनपुर। 149/147/148/307 धारा 22/781 0 सं 0 अ0

बरामदगी का विवरण –

01 / तमन्चा 01 जिन्दा कारतूस 315.बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र 0 नि 0 संजीव कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. उ सिंह थाना देवबंद 0 पी 0 के 0 नि 0 जनपद सहारनपुर
3. है प्रवेन्द्र कुमार थाना देवबंद 0 9 3 1 का 0 जनपद सहारनपुर
4. है रवि तोमर थाना देवबंद 0 का 0 जनपद सहारनपुर



प्रेस नोट

दिनांक: 16. 03. 2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंदसहारनपुर, पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रणवारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु /वांछित , चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंदके निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.03.को 2024 वारण्टी अभियुक्त 01 मुखबिर की सूचना पर थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा मनोज उर्फ बोगा पुत्र शेरसिंह निमौ सराय कहरान थाना देवबंद सम्बन्धित वाद सं 0- /243316 मु0सं0अ0- 549/ 16 398 धारा/भादवि 401 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

मनोज उर्फ बोगा पुत्र शेरसिंह निमौ सराय कहरान थाना देवबंद 0 सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. संजीव कुमार प्र थाना देवबंद जनपद सहारनपुर 0नि0
2. उ राकेश पंवार 0नि0थाना देवबंद सहारनपुर
3. है कमलेश यादव 655 0का0थाना देवबंद सहारनपुर
4. काअरुण कुमार 234 0 थाना देवबंद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक 20.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक अवैध अस्लाह तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमचा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण व अवैध अस्लाह की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अवैध अस्लाह तस्कर अभियुक्त आरिफ पुत्र ताहिर निवासी ग्राम गन्देवडा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर को मुखबिर की सूचना पर बिजली घर के बगल वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 तमचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद अभियुक्त के विरुद्ध फर्द बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0सं0 49/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्. विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने यह तमचा व कारतूस काफी समय पहले आने जाने वाले ट्रक ड्राइवरो से खरीदा था। जिसे मैं लोगों को डराने व गांव में अपना रोब जमाने के लिये रखता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

आरिफ पुत्र ताहिर निवासी ग्राम गन्देवडा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 177/16 धारा 380/411 भादवि थाना फतेहपुर।
2. मु0अ0सं0 252/18 धारा 379/411 भादवि थाना फतेहपुर।
3. मु0अ0सं0 265/18 धारा 380/411 भादवि थाना फतेहपुर।
4. मु0अ0सं0 270/18 धारा 380/411/457 भादवि थाना फतेहपुर।
5. मु0अ0सं0 289/18 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधिनियम व 420 भादवि थाना फतेहपुर।
6. मु0अ0सं0 295/18 धारा 307 भादवि थाना फतेहपुर।
7. मु0अ0सं0 296/18 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना फतेहपुर।

बरामदगी का विवरण

01 तमचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सोनू राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
2. है0का0 307 प्रदीप थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
3. का0 2321 बब्लू थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 20.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा एक शातिर गौकश अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 किलोग्राम

प्रतिबंधित गौमांस, एक पाठल लोहे की, एक छुरा स्टील व एक छुरी लोहा बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, गौवध, गौमांस की तस्करी रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बीनू विहार से आगे पक्के रास्ते से एक शातिर गौमांस तस्कर **इस्लाम पुत्र स्व0 शब्बीर निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 05 किलोग्राम प्रतिबंधित गौमांस, एक पाठल लोहा, एक छुरा स्टील व एक छुरी लोहा बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जनकपुरी पर **मु0अ0सं0 54/24 धारा 3/5क/8 गोवध प्रतिषेध अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त इस्लाम उपरोक्त के विरुद्ध अन्य विधिक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त इस्लाम उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया की मैं कम पढा लिखा हूँ। मैंने आज सुबह एक गाय का छोटा बछड़ा जो लावारिश जंगलो मे घूम रहा था उसे मोहदीनपुर के जंगल में काटा था और स्कूटी की डिग्गी मे रखे जाने जितना मांस रख लिया था जो लगभग 05 किलो है और बचा हुआ अवशेष / मांस एक बोरी मे रखकर आते हुए ढमोला नदी मे पुलिस के डर के कारण फेंक दिया था और अब इस मांस को राह चलते व्यक्तियों को बेचने के लिये मैं शहर की तरफ जा रहा था कि आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इस्लाम पुत्र स्व0 शब्बीर निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- 5 किलो गौमांस।
- 01 पाठल लोहे की।
- 01 छुरा स्टील का।
- 01 छुरी लोहे की।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 इन्द्रसैन थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 580 उस्मान अली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक 20.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02शातिर अवैध मादक पदार्थ तस्क़र अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से 15ग्राम स्मैक बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण व अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बेहट श्री योगेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20 03.2024 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दाउदपुरा अड्डे से पानसर वाले रास्ते पर शात 02ि़र मादक पदार्थ तस्क़र अभियुक्त वसीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम रीढी (1) सलमान पुत्र यासीन निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जिला (2) मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से क्रमशः ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुई 07 ग्राम स्मैक व 08। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बेहट पर मु0अ0सएनडीपीएस एक्ट 21/8-धारा 2024/97-0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने पुछताछ पर बताया कि साहब यह स्मैक हम बाहर से सस्ते दाम खरीदकर लाये है। आस पास के क्षेत्र /गाँव में जाकर इसे महंगे दाम में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते है। आज भी हम यह स्मैक बेचने के लिये जा रहे थे कि पुलिस टीम द्वारा हमें पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. वसीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर।
2. सलमान पुत्र यासीन निवासी ग्राम रीढी मोहिद्दीनपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

1. ग्राम अवैध स्मैक नाजायज 08 .1 अभियुक्त वसीम के कब्जे से (
2. (अभियुक्त सलमान के कब्जे से) ग्राम अवैध स्मैक नाजायज 07 .2

आपराधिक इतिहास अभियुक्त वसीम-

1. मु 8/ए5/3 धारा 19/154 0सं0अ0सीएस एक्ट थाना बेहट सहारनपुर।
2. मु भादवि 307 धारा 19/155 0सं0अ0थाना बेहट सहारनपुर।
3. मु0अ0संगैगस्टर अधि 3/2 धारा 20/214 0नियम थाना बेहट सहारनपुर।
4. मु भादवि 366/363 धारा 21/629 0सं0अ0थाना बेहट सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सलमान -

1. मु 0पशु क्रूरता अधि 11 व- सीएस एक्ट 5/3 धारा 22/461 0सं0अ0थाना बेहट सहारनपुर।
2. मु 10 धारा 17/575 0सं0अ0जुआ अधिनियम थाना बेहट सहारनपुर।
3. मु एनडीपीएस एक्ट 21/8 धारा 23/360 0सं0अ0थाना बेहट सहारनपुर।
4. मु धारा 23/45 0सं0अ0147, 323, 427, 452, 504, 506 भादवि थाना बेहट सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर।
2. उ श्री बलराम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर 0नि0।
3. काप्रताप सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर 1924 0।
4. का राहुल खोखर थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर 486 0।
5. का हर्ष तोमर थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर 2036 0।



-प्रेस नोट-

दिनांक 20.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल, सहारनपुर पुलिस द्वारा रामकृष्ण परमहंस इण्टर कालेज में फायरिंग करने वाले 01 अभियुक्त गिरफ्तार व दो बाल अपचारी अभिरक्षा में लिये गये, अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा व 02 कारतूस 315 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि थाना नागल पर वादी श्री सुभाषचन्द पुत्र श्री गेन्दाराम निवासी ग्राम जौला डिन्डौली थाना नागल जिला सहारनपुर द्वारा एक किता लिखित प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्तगण 1. कैफ पुत्र नामालूम निवासी सोहनचिडा थाना नागल सहारनपुर 2. बिल्लू पुत्र इसरार निवासी पाण्डौली रोड कस्बा व थाना नांगल सहारनपुर 3. मोनू उर्फ इतखाब पुत्र नाजिम निवासी पाण्डौली रोड कस्बा व थाना नागल सहारनपुर 4. जैद पुत्र बुरहान निवासी ग्राम पाण्डौली रोड कस्बा व थाना सहारनपुर 5. सलमान पुत्र नामालूम निवासी पाण्डौली रोड कस्बा व थाना नागल 6. नोमान पुत्र नामालूम ग्राम पाण्डौली थाना नांगल सहारनपुर तथा अन्य अज्ञात द्वारा वादी व वादी के लडको के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में थाना नांगल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 56/24 धारा 147/148/149/307 भादवि पर पंजीकृत किया गया था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त प्रकरण का तत्काल सज्ञान लेकर घटना में सम्मिलित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आवश्यक आदेश -निर्देश दिये गये । इस क्रम में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नांगल श्री ज्ञानेश्वर बोद्ध के कुशल नेतृत्व में थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सुचना पर आज दिनांक 20.03.2024 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाँछित अभियुक्त मोनू उर्फ इतखाब पुत्र नाजिम निवासी पाण्डौली रोड कस्बा व थाना नागल सहारनपुर को एक तमंचा व दो कारतूस जिन्दा 315 बोर सहित बस अड्डा कस्बा नागल से गिरफ्तार किया गया तथा दो बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया । अभियुक्त / बाल अपचारीयों के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त व बाल अपचारियों ने पुछताछ पर बताया कि हमारा अपने स्कूल की परिक्षा में शीट पर बैठने को लेकर आपस में विवाद हो गया था । जिस कारण हम लोगो तैश में आकर स्कूल में फायरिंग कर दी थी । आज पुलिस द्वारा हम लोगो को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोनू उर्फ इतखाब पुत्र नाजिम निवासी पाण्डौली रोड कस्बा व थाना नागल सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण-

1. एक तमंचा 315 बोर ।
2. दो कारतूस जिन्दा 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बोद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री महेशचन्द थाना नांगल जिला सहारनपुर ।
3. है0का0 757 सन्नी कुमार थाना नांगल सहारनपुर ।
4. का0 122 लक्ष्मण सिंह थाना नांगल सहारनपुर ।



दिनांक- 20.3.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 70 पच्चे रसीला माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.3.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त राजन यादव पुत्र अनिल यादव निवासी रेलवे कालोनी खलासी लाइन हाल पता गोविन्दनगर थाना सदर बाजार स0पुर को सीओ रेलवे ऑफिस के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 70 पच्चे रसीला माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी / गिरफ्तारी के आधार पर थाना सदर बाजार पर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 156/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हरियाणा से शराब सस्ते दाम पर खरीद कर लाया हूं और इस शराब को आस पास के क्षेत्र में महंगे दाम पर बेच देता हूं। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज भी मैं यह शराब हरियाणा से खरीदकर यहां बेचने के लिये लाया था की पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजन यादव पुत्र अनिल यादव निवासी रेलवे कालोनी खलासी लाइन हाल पता गोविन्दनगर थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 040/20 धारा 323/452/5041/506 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 147/23 धारा 21/8 एनडीपीएस एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 494/20 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 628/17 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
- मु0अ0सं0 868/18 धारा 3/25 आर्स एक्ट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

70 पच्चे रसीला माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री स्वेता शर्मा थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. का0 2294 अरुण थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. का0 947 शान्तनू थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।



दिनांक: 20.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार जिसके कब्जे से 01 चाकू
नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं अवैध हथियारों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.3.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त लक्ष्मीचन्द उर्फ लक्ष्मी पुत्र राजकुमार निवासी हसनपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर को काशीराम कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 156/2024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त लक्ष्मीचन्द उपरोक्त ने बताया कि ज्यादा पढा लिखा नहीं हूँ। मैंने ये चाकू लोगों को डराने, धमकाने व अपना रोब जमाने के लिए अपने पास रखा है, जिसका लाइसेंस मेरे पास नहीं है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

लक्ष्मीचन्द उर्फ लक्ष्मी पुत्र राजकुमार निवासी हसनपुर थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

01 अदद नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
- है0का0 680 भूपेन्द्र थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।



दिनांक: 20.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चाकू

नाजायज बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं अवैध हथियारों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.3.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शुभम पुत्र रोशनलाल निवासी लक्ष्मीपुरम कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर को घोडा कालोनी के पास गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 नाजायज अदद चाकू बरामद होना। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 157/2024 धारा 4/25 आर्मस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त लक्ष्मीचन्द उपरोक्त ने बताया कि ज्यादा पढा लिखा नहीं हूँ। मैंने ये चाकू लोगों को डराने, धमकाने व अपना रोब जमाने के लिए अपने पास रखा है, जिसका लाइसेंस मेरे पास नहीं है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शुभम पुत्र रोशनलाल नि. लक्ष्मीपुरम कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

01 नाजायज चाकू

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं087/23 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0183/22 धारा 60/63 आबकारी अधि0 कोतवाली नगर सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 513/21 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 863/18 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. है0का0 680 भूपेन्द्र थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

महिला थाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया 01

!

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध नियन्त्रण महिला सम्बन्धी अपराध की रोकथाम व, वांछित वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु/चलाए जा रहे अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी अपराध के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्रीमती बबीता तोमर के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा वांछित अभियुक्त विपुल गुप्ता पुत्र संजय कुमार गुप्ता निवासी शांति नगर जेल चुंगी शिव मंदिर वाली गली थाना जनकपुरी सहारनपुर को सम्बन्धित मु35 0सं0अ0/ धारा 24 363,366,506,376 भादवि व 3/पोक्सो अधि 4नियम थाना महिला को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा न्यायालय के समक्ष पेश किया 0जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:

विपुल गुप्ता पुत्र संजय कुमार गुप्ता निवासी शांति नगर जेल चुंगी शिव मंदिर वाली गली थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक श्री गंगा प्रसाद आर्य महिला थाना सहारनपुर
2. उ सुमन्त्रा यादव महिला थाना सहारनपुर 0नि0
3. है संजीव कुमार महिला थाना सहारनपुर 369 0का0
4. है मुकेश कुमार महिला थाना सहारनपुर 1036 0का0



दिनांक: 20.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे

से 2.5 ग्राम स्मैक व 01 इलैक्ट्रॉनिक काँटा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थों की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त वादिल पुत्र जहूर अहमद निवासी मौ0 चाहमन्जली थाना नानौता जिला सहारनपुर** को निर्मालायतन के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त वादिल उपरोक्त के कब्जे से नाजायज 2.5 ग्राम स्मैक व 01 इलैक्ट्रॉनिक काँटा बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 62/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समये से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व नशा करने का आदि हूँ। मैं स्मैक सस्ते दाम में खरीद कर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

वादिल पुत्र जहूर अहमद नि0 मौ0 चाहमन्जली थाना नानौता जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 2.5 ग्राम स्मैक नाजायज
- 01 इलैक्ट्रॉनिक काँटा

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 466/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर
2. मु0अ0स0 137/22 धारा 10 युपी गुण्डा एक्ट थाना नानौता सहारनपुर
3. मु0अ0स0 45/21 धारा 13 जी एक्ट थाना नानौता सहारनपुर
4. मु0अ0स0 62/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना नानौता सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. का0 2032 सचिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 20.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमन्चा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.03.2024 को चैकिंग के दौरान थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर अभियुक्त दीपक पुत्र सोमपत हरिजन निवासी मौहल्ला अफगानान कस्बा थाना नानौता जिला सहारनपुर को रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त दीपक उपरोक्त के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 63/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं रोब गालिब करने के लिये अपने पास तमन्चा रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दीपक पुत्र सोमपत हरिजन निवासी मौहल्ला अफगानान कस्बा थाना नानौता जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमन्चा 315 बोर
- 02 कारतूस जिन्दा 315 बोर

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

5. मु0अ0स0 111/22 धारा 294/352/354क/354घ/504 भादवि थाना नानौता सहारनपुर
6. मु0अ0स0 63/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नानौता सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 रोहताश सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
- 2.HC 830 राहुल शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 08 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एव मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त शाहनवाज पुत्र दिलशाद निवासी अहमद कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 08 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर मु0अ0स0- 104/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि मैंने यह देशी शराब हरियाणा मार्का हरियाणा राज्य के ठेके से सस्ते दाम में खरीदकर लाता हूँ तथा इसे महंगे दामों पर आस पास के क्षेत्र में बेच देता हूँ, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज भी मैं यह शराब हरियाणा राज्य से खरीद कर बेचने के लिये लाया था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शाहनवाज पुत्र दिलशाद निवासी अहमद कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

08 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह
- है0कां0 736 दीपक नागर



दिनांक 20.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी चुनाव द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण को आफ लाईन/आन लाईन प्रशिक्षण दिया गया।

आज दिनांक 20.03.2024 को समय 16:00 बजे से जिला प्रशिक्षण इकाई पुलिस लाईन सहारनपुर के माध्यम से पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी चुनाव के द्वारा जनपद सहारनपुर के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों का आफ लाईन एवं आन लाईन कार्यशाला आयोजित कर आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें जनपद के समस्त अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा आफ लाईन/आन लाईन प्रतिभाग किया गया।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 20.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ए0डी0जे0) कोर्ट-15, सहारनपुर द्वारा नाबालिग से छेड़खानी के मामले में 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गयी सजा

अवगत कराना है कि दिनांक 17.04.2018 को वादी की लिखित तहरीर बाबत वादी की नाबालिक पुत्री के साथ अभियुक्तगण 1-लव गर्ग पुत्र सुधीर गर्ग व 2-सन्नी पुत्र धनष्याम नि0गण मौ0 मोहम्मदगौर कस्वा व थाना गंगोह द्वारा वादी के घर में घुसकर छेड़छाड़ करना व जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर मु0अ0सं0 240/2018 धारा 452,354(ग),506 भादवि व 7/8 पोक्सों अधिनियम थाना गंगोह पर पंजीकृत कराया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 58/2019 पर माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-15 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-15 द्वारा आज दिनांक 01.03.2024 को अभियुक्त 1-लव गर्ग पुत्र सुधीर गर्ग को मु0अ0सं0 240/2018 धारा 452,354(ग),506 भादवि व 11/12 पोक्सों अधिनियम का दोषी पाते हुए 3 वर्ष का संश्रम कारावास व 7 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट- अभियुक्त सन्नी पुत्र धनष्याम की मृत्यु हो चुकी है।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्रीमती चंचल पुण्डीर
विवेचक रिटा0 उ0नि0 श्री तेजपाल सिंह
पैरोकार हे0का0 720 पंकज कुमार थाना गंगोह सहारनपुर।